



Bihar State Power Transmission Company Ltd., Patna
A subsidiary company of Bihar State Power (Holding) Company Ltd., Patna
CIN – U74110BR2012SGC018889
[SAVE ENERGY FOR BENEFIT OF SELF AND NATION]
Head Office, Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna – 800021,

PUBLIC NOTICE

REQUEST FOR COMMENTS / SUGGESTIONS / OBJECTIONS


1. Bihar State Power Transmission Company Limited (BSPTCL), transmission licensee, hereby gives notice to all stakeholders and the general public that it has filed a Petition for Regulatory Approval of the Hon'ble Commission for Leasing of its Dark Fiber of OPGW Network before the Hon'ble Bihar Electricity Regulatory Commission under Section 41 of Electricity Act, 2003 read with BERC (Treatment of Income of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2013 and BERC (Multi-Year Transmission Tariff and SLDC Charges) Regulations, 2021. The petition has been taken on record by the Hon'ble Commission as Case No. 11 of 2023.
2. Abridged form of the Petition is indicated below:
 - i. BSPTCL has 24 fibres in its OPGW network and accordingly, BSPTCL is leasing out up to 8 pairs of fibre (i.e. 16fibres) of its existing OPGW network to assist the **Internet Service Provider and other telecom players for penetration of Internet and telecom services in the state of Bihar and also to encourage the establishment of new industries/ companies supported by Internet services.**
 - ii. BSPTCL has received the Registration Certificate (Certificate No. 1184/2021, dated 06.09.2021) for infrastructure Provider Category - I (IP - I) from the Ministry of Communication (Department of Telecom), Govt. of India vide letter No. 10-35/2021-CS-III, dated 06.09.2021.
 - iii. BSPTCL through bidding process has discovered the highest rate of Rs. 14,501.00 per Fiber pair per km has been discovered with 1st Year revenue of Rs. 10.19 Cr. approximately (Plus applicable GST)
 - iv. BSPTCL prayed to the Hon'ble Commission to approve the sharing mechanism as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue Derived from Utilization of Transmission Assets for Other Business) Regulations, 2020 and accordingly, 10% of the gross revenue from aforesaid business is proposed to be shared with the long-term customers by passing on the same through Tariff
3. BSPTCL in its Petition has prayed for Regulatory Approval for carrying out the aforementioned business and further sharing mechanism of the corresponding revenue.

4. General public and stakeholders are requested to submit comments /suggestions /objections, if any to "The Secretary, Bihar Electricity Regulatory Commission, Vidyut Bhawan-II, J. L. Nehru Marg, Patna - 800021" before 17.08.2023 by 05:00 PM.
5. The Bihar Electricity Regulatory Commission shall hear this matter on 22.08.2023 at 11.30 A.M. in its Court Room.

For Bihar State Power Transmission Company Limited

Place: Patna

Date: 25.07.2023


Chief Engineer (Telecom)
4th Floor, Vidyut Bhawan-I, JLN Marg,
Patna -800001



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
(निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड, पटना 800 021)
(बिहार सरकार का उपक्रम)
(निगमित पहचान नं० U74110BR2012SGC018889)

सार्वजनिक सूचना

टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों के लिए अनुरोध


1. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल), ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, इसके द्वारा सभी हितधारकों और आम जनता को नोटिस देता है कि उसने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 और बीईआरसी (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारकों के अन्य व्यवसायों की आय का व्यवहार) विनियम, 2013 और बीईआरसी (बहु-वर्षीय ट्रांसमिशन टैरिफ और एसएलडीसी शुल्क) विनियम, 2021 के तहत माननीय बिहार विद्युत नियामक आयोग के समक्ष ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के अपने डार्क फाइबर को पट्टे पर देने के लिए माननीय आयोग के नियामक अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की है। याचिका को माननीय आयोग द्वारा 2023 के केस नंबर 11 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. याचिका का संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है:
 - i. बी.एस.पी.टी.सी.एल के ओ.पी.जी.डब्ल्यू नेटवर्क में 24 फाइबर हैं और तदनुसार, बी.एस.पी.टी.सी.एल बिहार राज्य में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की पैठ के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता और अन्य दूरसंचार खिलाड़ियों की सहायता करने और इंटरनेट सेवाओं द्वारा समर्थित नए उद्योगों / कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मौजूदा ओ.पी.जी.डब्ल्यू नेटवर्क के 8 जोड़े फाइबर (यानी 16 फाइबर) तक पट्टे पर दे रहा है।
 - ii. बी.एस.पी.टी.सी.एल को संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार से दिनांक 06.09.2021 के पत्र संख्या 10-35/2021-सीएस-III के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी - 1 (आईपी - 1) के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संख्या 1184/2021, दिनांक 06.09.2021) प्राप्त हुआ है।
 - iii. बी.एस.पी.टी.सी.एल ने बोली प्रक्रिया के माध्यम से 14,501.00 रुपये प्रति फाइबर जोड़ी प्रति किमी की उच्चतम दर का पता लगाया है, जिसमें पहले वर्ष का राजस्व लगभग 10.19 करोड़ रुपये है।
 - iv. बी.एस.पी.टी.सी.एल ने माननीय आयोग से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य व्यवसायों के लिए पारेषण परिसंपत्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का साझाकरण) विनियम, 2020 में निर्दिष्ट साझाकरण तंत्र को मंजूरी देने के लिए प्रार्थना की और तदनुसार, उपरोक्त व्यवसाय से सकल राजस्व का 10% टैरिफ के माध्यम से पारित करके दीर्घकालिक ग्राहकों के साथ साझा करने का प्रस्ताव है।
3. बी.एस.पी.टी.सी.एल ने अपनी याचिका में उपर्युक्त व्यवसाय को पूरा करने के लिए नियामक अनुमोदन और संबंधित राजस्व के आगे के साझाकरण तंत्र के लिए प्रार्थना की है।

4. आम जनता और हितधारकों से अनुरोध है कि वे 17.08.2023 को शाम 05:00 बजे तक "सचिव, बिहार विद्युत नियामक आयोग, विद्युत भवन -2, जेएल नेहरू मार्ग, पटना - 800021" को टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हों" प्रस्तुत करें।
5. बिहार विद्युत नियामक आयोग इस मामले की सुनवाई 22.08.2023 को सुबह 11.30 बजे अपने कोर्ट रूम में करेगा।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए

स्थान: पटना

तिथि: 25.07.2023


मुख्य अभियंता (दूरसंचार)

चौथी मंजिल, विद्युत भवन-1, जेएन मार्ग,

पटना -800001